निष्पक्ष



शुभम दुबे
स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक

कैलाश बाबू के खाली हाथ

इंदौर की सियासत में बदलते समीकरण



25 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब इंदौर के प्रभारी मंत्री की कुर्सी छोड़ी और उसकी कमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य (चेतन) कश्यप को सौंपी, तो सियासी गलियारों में यह महज एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि मालवा की सत्ता के भूगोल में बड़ा हस्तक्षेप माना गया। अगस्त 2024 में परंपरा तोड़कर इंदौर का प्रभार अपने पास रखने वाले मुख्यमंत्री ने अब यह जिम्मेदारी रतलाम से आने वाले अपने विश्वस्त और अपेक्षाकृत तटस्थ चेहरे कश्यप के हवाले कर दी, जिनके पास पहले से भोपाल और राजगढ़ का जिम्मा है। आधिकारिक तौर पर वजह प्रदेशव्यापी व्यस्तता और दो साल से अटकी जिला योजना समिति की बैठकों की रफ्तार बढ़ाना बताई गई, लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो यह 'जवाबदेही के बंटवारे' और 'डैमेज कंट्रोल' की सोची-समझी चाल है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से हुई मौतों और अव्यवस्थाओं पर विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार ने एक ऐसा प्रभारी बैठाया है जो स्थानीय गुटबाजी के सीधे दाव-पेंच से दूर रहकर संतुलन साध सके। दिलचस्प यह है कि शहर के सबसे कद्दावर और नगरीय प्रशासन संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय के रहते हुए किसी बाहर के मंत्री को कमान मिलना यह संदेश देता है कि सत्ता अब पुराने शक्ति-केंद्रों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भरोसेमंद मोहरों के जरिए चाल चल रही है। कैलाश बाबू के खाली हाथ कई अनकही कहानियां बयां करते हैं—खासकर तब, जब 2023 के सत्ता परिवर्तन के बाद से ही उज्जैन और इंदौर के बीच प्रशासनिक व सियासी वर्चस्व की बारीक लकीरें बार-बार उभरती रही हैं। दिसंबर 2025 में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की समीक्षा बैठक में विजयवर्गीय का यह कहना कि अधिकारी मुख्यमंत्री के नाम से 'चमकाते' हैं, या फिर जून-जुलाई 2026 में सामने आए कथित 'लेटर बम' की चर्चाएं—जिनमें इंदौर की उपेक्षा, अटके मास्टर प्लान और 'उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन' में इंदौर की प्राथमिकता को लेकर असंतोष की बातें कही गईं (भले ही विजयवर्गीय ने पत्र को अफवाह बताया हो)—यह दिखाती हैं कि तालमेल की गाड़ी हमेशा सीधी पटरी पर नहीं चली। जून 2026 में अधिकारियों की निष्ठा पर उनकी टिप्पणी, बैठकों से दूरी और फिर 23-24 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट में एक ही मंच पर साथ दिखने के बावजूद, सियासी तनाव की परतें छिपी नहीं रहीं। इसी बीच अक्टूबर 2026 में उनके ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग में ई-नगर पालिका और जेम पोर्टल के विश्लेषण से करीब 250 करोड़ रुपये की कथित खरीदी अनियमितताओं, 392 कर्मियों पर कार्रवाई और लोकायुक्त जांच ने विभाग की साख और मंत्री की शुरुआती चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए, वहीं 2000-2005 के पुराने पेंशन प्रकरण की कानूनी चर्चाएं भी माहौल को गरमाती रहीं। सियासत का यह पूरा नाटक एक बड़े सच की ओर इशारा करता है कि अब जनता के मिजाज और सत्ता की रणनीति, दोनों में बदलाव की आहट है। एक दौर वह था जब सख्त बयानबाजी, रौब और शक्ति-प्रदर्शन को ताकत की निशानी माना जाता था, लेकिन आज का मतदाता साफ-सुथरी व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन चाहता है—उसे धमकियों या वर्चस्व की नुमाइश से ज्यादा नल का साफ पानी, सुचारू सड़कें और संवेदनशील शासन चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी न बनाकर यह संकेत भी दिया गया है कि सतना और धार का प्रभार संभाल रहे दिग्गज के हाथों में इंदौर की पूरी प्रशासनिक धुरी समेटने के बजाय सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और उन बयानों व विवादों से दूरी बनाई जाए जो जन-आक्रोश का केंद्र बनते हैं। मोहन यादव ने अपने भरोसे के आदमी को इंदौर में बिठाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में यह बात पुरानी और पक्की है कि इंदौर सध जाए तो मालवा और प्रदेश की बिसात अपने आप सध जाती है—अब देखना यह है कि चेतन काश्यप के कंधों पर आई यह जिम्मेदारी फाइलों और जमीनी हकीकत के बीच कितना संतुलन बना पाती है।

कार्टून कोना



पिपल्या हाना में बन रहा नया जिला कोर्ट

प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक जिला कोर्ट भवन बनने जा रहा है





क्यों है यह इंदौर के लिए बड़ी सौगात...?

जगह की बड़ी समस्या खत्म... अभी स्न्न रोड पर गांधी हॉल के पास वाला पुराना कोर्ट 1905 का है, वहां सिर्फ 50 कोर्ट चलते हैं और 40 लाख की आबादी के लिए जगह बहुत कम है। नया कैंपस बहुत बड़ा है, इसलिए भविष्य में 200 तक जजों / कोर्ट के बैठने की क्षमता बनेगी।

पार्किंग और जाम से राहत...

पुराने कोर्ट पर रोज हजारों वकील, पक्षकार आते हैं, जिससे स्न्न रोड पर लगातार जाम लगता है। नए कैंपस में डेडिकेटेड बड़ी पार्किंग और चौड़ी सड़कें होंगी, जिससे यह समस्या काफी हद तक खत्म होगी।

सब कोर्ट एक ही जगह...

अभी कोर्ट बिखरे हुए हैं। नए भवन में सभी जज, स्टाफ, कोर्ट रूम एक ही आधुनिक परिसर में होंगे, इससे काम की स्पीड और व्यवस्था दोनों बेहतर होगी।

आधुनिक सुविधाएं...

नए भवन को हाईटेक सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है - बड़े कोर्ट रूम, वकीलों के लिए चेंबर, रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी, वेटिंग एरिया और डिजिटल सुविधाएं।

काम में अब तेजी...

फंड की कमी से काम रुका था, लेकिन अब कैबिनेट ने 215.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की संशोधित स्वीकृति दे दी है। PWD मंत्री ने निरीक्षण के बाद अप्रैल 2026 की डेडलाइन तय की है और हफ्ते में समीक्षा के साथ 2-3 शिफ्ट में मजदूर लगाने का निर्देश दिये है।

म.प्र.राज्य का सबसे बड़ा जिला कोर्ट...

विधि विभाग के अनुसार, 626 करोड़ की स्वीकृति के साथ यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कोर्ट भवन बनेगा।

यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इंदौर के लिए न्याय व्यवस्था का एक नया युग है।

स्कीम नंबर 140, पिपल्या हाना, बायपास रोड / ईस्टर्न रिंग रोड, इंदौर

कुल क्षेत्रफल 12.37 हेक्टेयर (लगभग 1,23,700 वर्ग मीटर प्लॉट)

9 से 11 मंजिला भव्य आधुनिक भवन, कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1,35,763 वर्ग मीटर कुल लागत 626.61 करोड़ रुपये (संशोधित स्वीकृति सहित)

शुरुआत DPR 2016 में, निर्माण 2018 से

नई डेडलाइन अप्रैल 2026 - काम 2-3 शिफ्ट में चल रहा है।

एक अच्छी बात और पिपल्या हाना तालाब को लेकर पहले विरोध हुआ था, लेकिन अब निर्माण में तालाब के संरक्षण के निर्देशों का पालन करने और उसके सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने भी कहा है कि तालाब के संरक्षण के लिए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

इंदौर को जल्द ही एक विश्वस्तरीय, विशाल और सुविधाजनक न्याय परिसर मिलने वाला है।

बार कांउसलिंग इन्दौर अध्यक्ष राकेश पाल ने बताया कि पिपल्याहाना स्थित न्यायालय कनिर्भर डोकरी जब तक पूरा नहीं होगा जब तक लाडली लक्ष्मी योजना बंद नहीं होगी क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है पूरा पैसा लाडली लक्ष्मी योजना में जा रहा है।

पिपल्याहाना स्थित न्यायालय परिसर में वकीलों के चेंबर के लिए 33000 स्क्वायर फीट जो जगह वकीलों व वकीलों के चेंबर ही बने और बाहर कार्यालय और बाहर की गतिविधियों को चलाने के लिए निर्माण अधीन जिला न्यायालय में ही जगह उपलब्ध हो और वकीलों की बैठक व्यवस्था भी जिला न्यायालय परिसर में ही चाहिए

अभी मध्य प्रदेश सरकार में इंदौर में रह रहे महापौर पुष्मित भार्गव भी हाई कोर्ट सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति थे वर्तमान में इंदौर नगर निगम में महापौर है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी काउंसलिंग बार उज्जैन से जुड़े हुए हैं उसके बावजूद भी पिपल्याहाना स्थित जिला कोर्ट की गाइडलाइन 2026 थी आज किस कारण से लेट हो रहा है यह विषय इन्दौर काउंसलिंग पदाधिकारी के मन में संचय का विषय है।.....

राकेश पाल
बार कांउसलिंग इन्दौर अध्यक्ष

एबी रोड बायपास पर निर्माण की छूट को झटका

हाईकोर्ट ने 105 से 150 मीटर के दायरे में नई अनुमतियों पर लगाई रोक

इंदौर (रईस पटेल) शहर के सबसे व्यस्ततम एबी रोड बायपास (राष्ट्रीय राजमार्ग-52) के किनारे नियंत्रित क्षेत्र (कंट्रोल एरिया) को कम कर निर्माण की छूट देने के राज्य सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है।



राऊखेड़ी से राऊ जंक्शन के बीच नियंत्रित क्षेत्र घटाने के सरकारी फैसले पर इंदौर खंडपीठ की सख्ती, नोटिस जारी

कोर्ट ने शुक्रवार (27 नवंबर) से प्रभावी अंतरिम आदेश जारी करते हुए राऊखेड़ी जंक्शन से राऊ जंक्शन के बीच हाईवे के 105 से 150 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण या भू-उपयोग की नई अनुमति देने पर तत्काल रोक लगा दी है।

जस्टिस सुबोध अध्यंकर और जस्टिस प्रमोद कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र और हाइवे को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इंजीनियर अतुल शेठ की जनहित याचिका पर हुई, जिसमें 6 मई 2025 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसने हाईवे का नियंत्रित क्षेत्र 150 मीटर से घटाकर 105 मीटर कर दिया था।

याकिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं ने दलील दी कि हाईवे केंद्र का विषय है, इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी की गई है तथा इतने करीब निर्माण की छूट सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा निर्देशों के विपरीत है।

कोर्ट की इस रोक से बायपास पर व्यावसायिक व आवासीय निर्माण की योजना बना रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है।

कालिदास समारोह में नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी



इंदौर। वरदा कला संस्थान की भरतनाट्यम छात्राओं ने उज्जैन में आयोजित 68वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में नृत्य एवं नृत्य नाटिका ‘निर्मल पराशक्ति आराधन’ की प्रस्तुति दी। इसका निर्देशन संस्थान की संचालिका श्रुति राजीव शर्मा ने किया था। कार्यक्रम के अतिथि श्रीपाद जोशी, संजय शर्मा एवं गोविंद गंधे थे। कार्यक्रम की शुरूआत श्री गणेश वंदना ‘गाइए गणपति वंदन’ से हुई। नृत्य नाटिका में माँ आदिशक्ति महाकाली का वर्णन दर्शाया गया। साथ ही मां सरस्वती की स्तुति ‘या कुन्देन्दु तुषार हार’ की प्रस्तुति हुई। ‘परमेश्वरी भगवती निर्मला’ ने कुंडलिनी शक्ति जागृति पर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस प्रस्तुति में प्रिया, अमृता, अंशिका और अनाया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नृत्य नाटिका में शब्दांकन एवं संचालन शर्वाणी जोशी और डॉ. हरीश पोद्दार ने किया। कार्यक्रम का संयोजन श्रीमती पलक पटवर्धन का था।

कृष्णबाग कॉलोनी में मकान तोड़ने के मामले में पीड़ितों ने राजस्व अधिकारियों व भू-माफिया पर गंभीर आरोप लगाए

इंदौर। खजराना क्षेत्र स्थित सर्वे क्रमांक 66 (रकबा 4.51 एकड़) की कृष्णबाग अवैध कॉलोनी में दिनांक 23 नवंबर 2026 को गरीबों के मकान तोड़े जाने के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व अधिकारियों ने तथ्यों व दस्तावेजों को छिपाकर एक भू-माफिया को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्रवाई की है। यह जानकारी आज इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृष्णबाग



कॉलोनी के रहवासियों ने दी।

उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और एसडीओ घनश्याम धनगर ने कथित रूप से दस्तावेज व वास्तविक स्थिति छिपाकर शशिभूषण खण्डेलवाल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया और गरीबों के मकान ढहा दिए।

विक्रय लेख व नगर निगम के आदेश का संदर्भ देते हुए कहा कि

रहवासियों ने की उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की

वर्ष 2003 के विक्रय लेख के आधार पर ली गई भवन निर्माण अनुज्ञा को तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने 13 अगस्त 2021 को निरस्त कर भूमि को नगर निगम के आधिपत्य में लिया था। यह भी दावा किया गया है कि संबंधित रिट याचिका 16 अक्टूबर 2025 को वापस ले ली गई थी, जबकि निष्कासन आदेश में नगर निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया।

पीड़ितों ने भूमि स्वामित्व व लेनदेन संबंधी दावे के संबंध में बताया कि शिकायत में ग्राम खजराना के सर्वे क्रमांक 66 की भूमि से जुड़े 1996 के अनुबंध, आगे की बिक्री और अवैध कॉलोनी बसाने से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।

साथ ही संस्था के नाम से कथित फर्जी बैंक खाते के जरिए राशि आहरण और 1997 की रजिस्ट्री को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए।

शिकायतकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण की उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों व आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा तोड़े गए मकानों का मुआवजा पीड़ित रहवासियों को दिलवाने की मांग की है।

राजनीतिक बेरोजगारों को मिलेगा काम



भले ही देश में बढ़ते बेरोजगारों को काम मिले न मिले परन्तु लोकसभा में 543 की बजाय अब 850 राजनीतिक बेरोजगारों को जरूर सवैतनिक कार्य करने का मौका मिल जाएगा परिसीमन के रास्ते।

साथ ही 60/65 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी करने के बाद बुढापे को बेहतर तरीके से काटने के लिए बेहतर पेंशन लाभ मिले न मिले किन्तु 5 साल जनसेवा करने वालों को जरूर जवानी से बुढ़ापे (पूरी जिंदगी) तक सर्वसुविधाएँ और सम्मानजनक पेंशन का लाभ भी मिलने लगेगा। वाह रे क़ुदरत का खेल. इधर कम पढ़े-लिखे भी राज करें और उधर पढ़े फारसी बेचे तेल.....

.शकुंतला महेश नेनावा,
इंदौर (म.प्र.)...

संजय यादव का संगठन मंत्री बनने पर स्वागत



इंदौर। यादव समाज प्रमुख कार्यसमिति (कोर कमेटी) की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 इकाई में संगठन मंत्री संजय यादव को बनाए जाने पर अतुल्य मेडिफार्मा परिसर में पार्षद संजय चौधरी, मार्गदर्शक जगन्नाथ यादव, डॉ. सीजे यादव, प्रभारी गौरव यादव, सह-प्रभारी राम किशोर यादव, वार्ड अध्यक्ष रवि यादव, लक्ष्मण यादव, सुनील यादव, सौरभ जैन, सुरेश लुनिया, कमलेश पटेल, साहबसिंह यादव, लखन यादव, शुभम यादव, आदित्य यादव, डॉ.आरएन राजनवात एवं धर्मेंद्र राठौर ने बधाई दी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.– डी II)

क्रमांक/903/अकरी/2026 इंदौर दिनांक 16/11/2026
प्रकरण क्र.0289/क–121/2026–27

प्रति **पेपर विज्ञप्ति**

(1) श्री जितेश राठौर पिता मदनलाल राठौर।
(2) श्रीमती मितलेश पति जितेश राठौर।
पता:– 1 भूखंड क्र.201 लवकुश अपार्टमेंट सेकंड फ्लोर भूखंड क्र 206 सिल्वर स्टार सिटी एक्सटेंशन 2 ग्राम मिहलपुर गुण्डी तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)।
पता नं. 2 भूखंड क्र 107 पलास परिसर सिलिकॉन सिटी इंदौर (म.प्र.)।
द्वारा:– पेपर प्रकाशन।

--00--

प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड) शाखा कार्यालय :– 317 तृतीय मंजिल लेखर संट्रल पलासिया इंदौर (म.प्र.) द्वारा आवेदन का निवेदन किया गया है कि बंधक संपत्ति का पता 133 पर खाता ऋण राशि का चुकता आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अतः विपक्षीय आसिपियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी–11 में दिनांक 30/11/2026 को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

मुहर
इंदौर दिनांक 16/11/26

सही/–
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

पृ.क्र.–903(A)/अकरी/2026